

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372-252175

पत्रांक २७०८/१२-१, गोपेश्वर, दिनांक २४/०१/ 2017 |
सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के किमी 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- ई०डी०एस० दिनांक 21.07.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रद्याग के पत्र सं० 48/10एल०४० दिनांक 04.01.2017 (संलग्न) से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है -

विंचि० सं०	प्रस्ताव में लगे कतिपय कमियाँ	कमियों का निराकरण
1.	Name of four village i.e. Chari, Naini(Choprakot), Tolna & Heen has been mentioned in the village wise breakup of forest land in para-B 2.3 of online Part-I but the name of one village i.e. Choprakot only has been mentioned in the FRA Certificate as well as para-3 of the proceedings of the meeting of Gram Panchayat Choprakot. Although, it is mentioned in the reply that all the four villages come under choprakot Gram Sabha only but the name of all four villages have not been mentioned of the meeting of Gram Panchayat Choprakot which is required to be mentioned.	FRA Certificate संशोधित करते हुए समस्त ग्रामों के Village Level committee Certificate सहित पार्ट-I Prara-(K) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी हॉर्ड कापी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2.	It is seen from the details given in a certificate showing length and width of the project provided in the hard copy of the proposal that 0.823 ha of Naap land is also involved in the project but the details of Naap Land has not been shown in para-A-1(ix) and para-B-2.1, B-2.2 & B-2.4 of online Part-I which is required to be given.	उक्त आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-I के Para-1 के Para-1 (ix) edit mode में ना होने के कारण Non-Forest Land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पारही है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त आपत्ति के निस्तारण हेतु अपने स्तर से NIC दिल्ली को पत्र लिखने की कृपा करें। ताकि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।
3.	It is seen that 0.67 ha of Revenue Forest Land, 1.697 ha of village forest land & 0.823ha of Naap land is involved in the project. The no. of trees is shown as 166 in the enumeration list provided in the hard copy of the proposal as well as online Part-II. State Govt. may confirm if all 166 trees are present in the Revenue forest land & Village forest land only & no trees present in Naap land are included in the 166 trees.	Enumeration List संशोधित करते हुए आपको प्रेषित की जा रही है, उक्त सूची में जागीरित सभी 166 वृक्ष सिविल एवं वन पचायत वन मूमि में हैं।
4.	The hard copy of the proposal contains photo copies of all the documents. State Govt. is required to submit original /attested photocopies of all the documents except FRA certificate, geo referenced digital map for the forest land proposed for diversion and the land proposed for CA, CA Scheme, CA site Suitability Certificate, Part-III, IV & V which are required in original copies.	प्रस्ताव की मूल हॉर्ड कापी पूर्व में प्रस्तावक विभाग की पत्र सं० 2187/10 एल०४० दिनांक 04.08.2017 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी है, (प्राप्ति रसीद संलग्न) प्रस्ताव में Geo referenced Map, CA, Scheme, CA Site suitability certificate, Enumeration list एवं पार्ट-I, पार्ट-II की मूल हार्ड कापी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। पार्ट-IV की मूल हार्ड कापी नोडल स्तर से एवं पार्ट-V की मूल हार्ड कापी राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध कशायी जानी है।

अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

नवदीय,

(एन०ए०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक : ५८ / १०६८८०

दिनांक : ०६/०७/२०१८

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- थिरपाक – काण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- FP/UK/ROAD/11421/2015 EDS दिनांक 21.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Name of four villages i.e. Chari, Naini (Choprakot), Tolna & Heen has been mentioned in the village wise breakup of forest land in para-B-2.3 of online Part - I but the name of one village i.e. Choprakot only has been mentioned in the FRA certificate as well as para-3 of the proceedings of the meeting of Gram Panchayat Choprakot. Although, it is mentioned in the reply that all the four villages come under Choprakot Gram Sabha only but the name of all four villages have not been mentioned in the FRA certificate and para-3 of proceedings of the meeting of Gram Panchayat Choprakot which is required to be mentioned.	FRA Certificate संशोधित करते हुए समस्त ग्रामों के Village Level Committee Certificate सहित पार्ट- I Para-K(a) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी हॉर्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। (संलग्न)
2	It is seen from the details given in a certificate showing length and width of the project provided in the hard copy of the proposal that 0.823 ha of Naap Land is also involved in the project but the details of Naap Land has not been shown in para-A-1 (ix) and para-B-2.1, B-2.2, B-2.3 & B-2.4 of online Part-I which is required to be given.	उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट- I के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त आपत्ति के निस्तारण हेतु अपने स्तर से NIC दिल्ली को पत्र लिखने की कृपा करें। ताकि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।
3	It is seen that 0.67 ha of Revenue Forest land, 1.697 ha of Village Forest land & 0.823 ha of Naap land is involved in the project. The no. of trees is shown as 166 in the enumeration list provided in the hard copy of the proposal as well as online Part-II. State Govt. may confirm if all 166 trees are present in the Revenue Forest land & Village Forest land only & no trees present in the Naap land are included in the 166 trees.	Enumeration list संशोधित करते हुए आपको प्रेषित की जा रही है। उक्त सूची में सम्मिलित सभी 166 वृक्ष सिविल वनभूमि एवं वनपंचायत भूमि में हैं। (सूची संलग्न)

4	<p>The hard copy of the proposal contains photocopies of all the documents. State Govt. is required to submit original/attested photocopies of all the documents except FRA certificate, geo referenced digital maps for the forest land proposed for diversion and the land proposed for CA, CA scheme, CA site suitability certificate, Part- III, IV & V which are required in original copies.</p>	<p>प्रस्ताव की मूल हार्ड कॉपी पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2187 / 10 एल.ए. दिनांक 04.08.2017 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी है। (प्राप्ति रसीद संलग्न) प्रस्ताव में geo referenced Map, CA scheme, CA site suitability certificate, enumeration List एवं पार्ट- I, पार्ट-II की मूल प्रति यथा स्थान संलग्न की गयी है। पार्ट-III की मूल हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। पार्ट-IV की मूल हार्ड कॉपी नोडल स्तर से एवं पार्ट-V की मूल हार्ड कॉपी राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध करायी जानी है।</p>
---	--	--

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 06 / 09 /2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **2.367 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Thirpak – Kandai Motor Road Km. 2 to Choprakot** falls within jurisdiction of Choprakot, Tonla, Heen Village in Tehsil Ghat/Chamoli,

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above



Asheesh Joshi
 District Magistrate
 Chamoli (Uttarakhand)

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constitiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Asheesh Joshi, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 06-09-2017. At 12:00Hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village - Choprakot, Tonla, Heen Village in Tehsil Ghat/Chamoli, area Measuring 2.367 Hectares for the Construction of Thirpak – Kandai Motor Road Km. 2 to Choprakot of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Ghat/Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



Asheesh Joshi
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2





परियोजना का नाम :— भनपड़ दामोदर के विजास पवण धाट के अन्तर्गत श्रीमान्
बाबूराम भाट, भारत के किमी. 2 में घोषणा को तक भाट
भारत का नियमन,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, दमोदर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, -----

उपखण्ड ५०२ परिक्षेत्र के अन्तर्गत अपाह नोड मोटर भारत के लोड
लोकगढ़ तम (२८ हे० आरक्षित वन भूमि, ०.२४० हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि १.६२७ हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल १.९७७ हे० वन भूमि) का
लो. नि. नियम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दमोदर) की दिनांक ०५-०९-२०१७ को
सम्पन्न दैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की दैठक
श्री परमानन्द राठ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता ने आयोजित की गयी। दैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री परमानन्द राठ उपजिलाधिकारी  — अध्यक्ष
- 2- श्री जगत किशोर उपप्रभागीय वनाधिकारी  — सदस्य
- 3- श्री महानाथ देवी हायक समाज कल्याण अधिकारी  — सदस्य/सचिव
- 4- श्री मध्याला चंद्रमा वनाधिकार समिति सदस्य  — सदस्य
- 5- श्री मानकरुद्र लक्ष्मी वनाधिकार समिति सदस्य  — सदस्य
- 6- श्री मनोहर लक्ष्मी वनाधिकार समिति सदस्य — 

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

~~उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी के बैठक में अप्राप्त तह परिक्षेत्र का~~

निम्नलिखि

भूमि लो. A, A.

परियोजना हेतु 1:53:3.40 वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सक्षम रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत
वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति~~ परियोजना के निर्माण हेतु 2:36:7.40 वन भूमि लो. A प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जिलाधिकारी वनाधिकारी
जनपद वनाधिकारी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, वनाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जिलाधिकारी वनाधिकारी
जनपद वनाधिकारी

परियोजना का नामः—

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....चौपड़ा नोट ग्राम-चरी, श्रीमा जीणा
 तहसील दाट जिला मुग्धली
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत लिंगणक कार्ड ब्रिफ्वेजिनिंग सेंटर द्वारा श्रीमा जीणा परियोजना के निर्माण हेतु हे० आरक्षित वनभूमि ०.२४० हे० सिविल सोयम भूमि १.६९८ हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल १.९३८ हे० वनभूमि का लोकविविभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौपड़ा नोट द्वारा दिनांक ०२/०९/१५ को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया कि ग्राम चौपड़ा नोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लोकविविभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हे०/—सत्यपंच
वन अधिकार ग्राम-चौपड़ा नोट
ग्राम समिति दाट (चुम्प)



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक ०२/०९/१८ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत - चौपड़ा कोटि (सी.पी.ए.न.वी.पड़ाकोटि)

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुंजम प्रसाद (प्रवी नधान)	Spundu
2	प्रेम वल्लभ	Pram
3	नवन्द प्रसाद	Nawnd
4	दीक्षा देवी	Deeksha
5	मंशाराम जगद्दा	Mansaram Jagda
6	कमल छोड़ा	Kamla Qodra
7	लक्ष्मी प्रसाद (सरपेंच)	Laxmi
8	देवी प्रसाद	Devi Prasad
9	सुवेश्वर प्रसाद	Suresh
10	उमेश चन्द्र	Umesh Chandra
11	दर्शन चन्द्र	Darshan Chandra
12	मनोज	Manoj
13	देवेन्द्र प्रसाद	Devendra
14	दीर्घ प्रसाद	Deergh Prasad
15	जीपाल देव	Geepal Dev
16	राम प्रसाद	Ram Prasad
17	सर्विन्द्र - चन्द्र	Sarvinder Chandra
18	मुन्नी देवी	Munni Devi
19	राक्तनला देवी	Raktnala Devi
20	भेमा देवी	Bhema Devi
21	बिनिता देवी	Binita Devi
22	शुष्मा देवी	Shusma Devi
23	सीता देवी	Sita Devi
24	सरोजन देवी	Sarojan Devi
25	लालन प्रसाद	Lalan Prasad

Laxmi
वन प्रणाली प्राप्ति चौपड़ा कोटि
विकास प्रपत्र प्रसाद (प्राप्ति)



परियोजना का नामः—

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र
ग्राम पंचायत का नाम—चैपड़कोट ग्राम-तीलना
तहसील—दार जिला—कोटा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जूनपद चमोली के अन्तर्गत स्थिराल-कार्ड भौय नामीकृतम् २५—दोपल्लकोटन्ड
ज्ञोट मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ह० आरक्षित वनभूमि^{प्रदूषित} ह० सिविल
सोयम भूमि ।। ६९७ ह० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल ।। १९७ ह० वनभूमि का लीकिली विभाग / संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटा द्वारा दिनांक २०११।। १७ को सम्पन्न
ग्रामसभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत
आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित
सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया
कि ग्राम कोटा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लीकिली प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के
निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

सरपंच
वन पंचायत ग्रामतोनवा
विकास समिति प्राप्त प्राप्त (दामोदर)
ग्राम सचिव वडा प्रधान



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण
उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया
जायेगा।

प्रपत्र - 23.1

दिनांक ०२/०९/१७ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत लीला ग्राम. लीला

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पवन	Yashwant
2	वडोपुराज	वडोपुराज
3	विरलारपी	Viralarpai
4	दिनेश - पन्ड	Dinesh
5	कृष्णगोवा	Krishnagovad
6		
7	बालिता शेटार	Balita Shetar
8	मनोज घट	Manoj Ghate
9		
10	निवेद	Nived
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		



परियोजना का नामः—

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण —पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....लोपपट्टी, ब्राम-हील
तहसील.....लाल जिला.....लोकल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत लिंगानु-काठड़ि ग्रामसभा के km 2 से लोपपट्टी तक मोया भाग परियोजना के निर्माण हेतुx..... है। आरक्षित वनभूमि 52.8 हेक्टर सिविल सोयम भूमि 11.697 हेक्टर वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 11.697 हेक्टर वनभूमि का लोकल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लोकल द्वारा दिनांक 02/09/17 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हील के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लोकल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत ग्राम लोकल
प्रिकास लोकल प्राप्त (चालौती)
ह०/—

ग्राम सचिव

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराय जायेगा।



प्रपत्र - 23.1

दिनांक ०२/०९/१४ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत वोपड़ाकोटी, उमा ही/०५

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमेशनारायण	
2	दयाराम	
3	रमेशनारायण	
4	भगवतीरुद्राम	
5	सीता दुर्वी	
6	कलनारेश	
7	राजीवकी	
8	भणवीरुद्राम	
9	मौद्रन पलाम	
10	तनकी प्रसाद	
11	छालजरालाल	
12	जगदीश भजाम	
13	उकेरा भजाम	
14	दीपीष्ठाम	
15	आरिका भजाम	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		



स्वर्णपंचायत
वोपड़ाकोटी
०२/०९/१४
— वोपड़ाकोटी



काण्डई मोटर मार्ग किमी 0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित वृक्षों की व्यासवार गणना सूची

क्र० राँ	भूस्वामित्र	वृक्ष गणना		व्यासवार वृक्ष गणना										योग
		प्रजाति	किस्म	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वन पंचायत तोनला	कलमिण्डा	हरा खड़ा	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	7
		रोहिणी	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		उत्तीस	हरा खड़ा	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		बांज	हरा खड़ा	0	2	5	7	4	1	1	0	0	0	20
		चीड़	हरा खड़ा	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	11
		तुन	हरा खड़ा	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		कठमहुआ	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		जैकरेण्डा	हरा खड़ा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		योग	0	14	16	12	4	1	1	0	0	0	0	48
2	सिविल वन	आंवला	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
		भीमल	हरा खड़ा	0	2	6	1	2	2	0	0	0	0	13
		खड़ीक	हरा खड़ा	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	6
		जामुन	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		तुन	हरा खड़ा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		तिमला	हरा खड़ा	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4
		चीड़	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		कठमहुआ	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		उत्तीस	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग	0	5	10	4	5	4	1	0	0	1	30	
3	हीण वन पंचायत	चीड़	हरा खड़ा	0	16	30	23	2	0	0	0	0	0	71
		बांज	हरा खड़ा	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	8
		उत्तीस	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		कलमिण्डा	हरा खड़ा	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	7
		काफल	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		योग	0	16	36	32	3	1	0	0	0	0	0	88
		कुलयोग	0	35	62	48	12	6	2	0	0	1	166	

8d
कृष्ण

वन क्षत्राधिकारी
चमोली रेज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

चमोली रेज के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0 2 से चोपड़ाकोट मोटर मार्ग तक 4.00 किमी 0 मोटरमार्ग में प्रभावित वृक्षों की मूल्य सूची

क्र०सं०	प्रजाति व किस्म	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
1	2		4	5	6	7
1	बीड़	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	25	240.00	6000.00
			20-30	33	600.00	19800.00
			30-40	23	2330.00	53590.00
			40-50	2	5070.00	10140.00
				83		89530.00
2	बाँज	<i>Quercus leucotrichophora</i>	10-20	2	145.00	290.00
			20-30	9	225.00	2025.00
			30-40	10	485.00	4850.00
			40-50	4	1050.00	4200.00
			50-60	2	1770.00	3540.00
			60-70	1	2580.00	2580.00
	योग -			28		17485.00
3	कलमिना		10-20	1	80.00	80.00
			20-30	5	160.00	800.00
			30-40	7	390.00	2730.00
			40-50	1	630.00	630.00
	योग -			14		4240.00
4	भीमल	<i>Grewia oppositifolia</i>	10-20	2	80.00	160.00
			20-30	6	160.00	960.00
			30-40	1	390.00	390.00
			40-50	2	630.00	1260.00
			50-60	2	780.00	1560.00
	योग -			13		4330.00
5	उत्तीस	<i>Alnus nepensis</i>	20-30	2	330.00	660.00
			30-40	3	550.00	1650.00
	योग -			5		2310.00
6	तुन	<i>Cedrela toona</i>	20-30	2	1160.00	2320.00
			40-50	1	4750.00	4750.00
	योग -			3		7070.00
7	रोहणी	<i>Melotus philippinensis</i>	10-20	1	80.00	80.00
				1		80.00
8	काफल	<i>Myrica esculenta</i>	20-30	1	160.00	160.00
				1		160.00
9	कठमडुआ	<i>Glochidion velutinum</i>	10-20	1	80.00	80.00
			20-30	2	160.00	320.00
	योग -			3		400.00
10	तिमला	<i>Ficus roxburghii</i>	20-30	2	160.00	320.00
			40-50	1	630.00	630.00
			60-70	1	1020.00	1020.00
	योग -			4		1970.00
11	जैकरेण्डा	<i>Jekrenda Mymecocbilis</i>	10-20	1	80.00	80.00
			30-40	1	390.00	390.00
	योग -			2		470.00
12	आंवला	<i>Phyllanthus emblica</i>	20-30	1	160.00	160.00
			50-60	1	780.00	780.00
	योग -			2		940.00
13	खड़ीक	<i>Celtis australis</i>	20-30	1	160.00	160.00
			30-40	2	390.00	780.00
			40-50	1	630.00	630.00
			50-60	1	780.00	780.00
			90 over	1	1800.00	1800.00
	योग -			6		4150.00
14	जामून	<i>Syzygium cumini</i>	30-40	1	3320.00	3320.00
				1		3320.00
				166		136455.00

१०८
१०९

वन शोधाधिकारी
चमोली रेज
बद्रीनाथ वन प्रशासन गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक २१४७ /१०एल.ए.

दिनांक ५/८/२०१७

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

थिरपाक कॉण्डई मोटर मार्ग के किमी. 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.367 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार द्वारा EDS पत्र संख्या FP/UK/Road/11421/2015 दिनांक 21.07.2017।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अनुरोध करना है, कि भारत सरकार द्वारा विषयगत मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आपति लगायी गई, कि प्रस्तावित वन भूमि की मूल प्रति दी जाय, जिसे अन्य मूल प्रपत्रों एवं मानचित्रों के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- प्रस्ताव मूल में एक नं।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोकनिर्माण विभाग।
कर्णप्रयाग।
५/८/१७

वन संरक्षक
अधिकारी एवं नोडल
प्रान्तीय निर्माण विभाग।
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Road/11421/2015

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में थिरपाक-काण्डाई मोटर मार्ग किमी 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं, प्रभागीय वनादि के 12 की छात्राओं द्वारा संचालित परिवहन
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना हेतु विभिन्न प्रजाति के कुल 166 वृक्ष में समाविष्ट हैं जिनमें 36 वृक्ष बांजे के हैं।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जलादित में संचालित कीजाती है।

दिनांक 13-04-2016

स्थान चोड़ा

हस्ताक्षर

नाम जी. सोनार

वन संरक्षक

बड़बाल दृक्ष

चत्तराञ्जलि चोड़ा